रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I खण्ड—1

PART I Section —1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 1980/आश्विना 1, 1902

No. 185] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 1980/ASVINA 1, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं०-36 आईटीसी (पी एन)/80

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1980

विषय :—अप्रल, 1980—मार्च 1981 के लिए आयात नीति।

० 1/128के/आर ई पी/74-ई पी सी (वा० 77).—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 9-आई टी सी (पी एन)/80, दिनाक 15 अप्रल, 1980 के अधीन प्रकाशित अप्रैल, 1980—मार्च 1981 के लिए आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

उक्त आयात नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे संकेतित उपयुक्त स्थानो पर किए जाएंगे :—

क्रम सं०	1980 81 की आयात नीति की पृष्ठ सं०	सदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	153	परिशिष्ट 17 क्रम सं०-ट7(1) कालम-5	वर्तमान टिप्पणी (1) को (2) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और निम्नलिखित टिप्पणी को (1) के रूप में निविष्ट किया जाएगा :— (1) कच्चे रेशम के आयात की स्वीकृति अनुमेय प्रतिपूर्ति के भीतर दी जाएगी और यह सम्बद्ध निर्यात निरीक्षण प्रमाणपत्र मे यथा प्रमाणितकृत निर्यातित उत्पाद मे वास्तव मे उपयोग होने वाली किस्म पर निर्भर होगी। इस प्रयोजन के लिए निर्यातित उत्पाद में प्रमुख रेशे की मात्रा वाले कच्चे रेशम की किस्म को ही वास्तव मे उपयोग होने वाली किस्म के रूप में मान लिया जाएगा।
2.	153	परिशिष्ट-17 क्रम सं०-ट7(2) कालम-5	विद्यमान अभ्युक्ति (1) के बाद निम्नलिखित आगे अभ्युक्ति जोड़ी जाएगी :— "(2) वही जो क्रम सं० ट-7(1) के सामने अभ्युक्ति (2) है।"

3	159	परिशिष्ट-17 क्रम सं० नं० 4(1) कालम-5	निम्नलिखित अभ्युक्ति जोड़ी जाएगी : "(1) कच्ची रेशम अर्थात् टसर या मलबेरि के आयात की अनुमति संबंधित निर्यात निरीक्षण प्रमाणपत्र में यथा निर्धारित निर्यातित उत्पाद में वास्तव में उपयोग की गई किस्म पर निर्भर करते हुए, अनुमेय प्रतिपूर्ति के भीतर दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए निर्यातित उत्पाद में जिस प्रमुख रेशे की मात्रा से कच्चे रेशम की किस्म बनी है वह किस्म वास्तव में उपयोग की गई समझी जाएगी।
4	159	परिशिष्ट-17 क्रम सं० नं० 1(2) कालम-5	निम्नलिखित अभ्युक्ति जोड़ी जाएगी : '(1) वही जो क्रम सं० नं० 4(1) के सामने अभ्युक्ति 1) में है।"

3 प्रतिपूर्ति के रूप में कच्ची रेशम के आयात के सम्बन्ध में इस सार्वजनिक सूचना के उपबन्ध 1 अक्तूबर, 1980 को या इसके बाद में किए गए निर्यातों के लिए जारी किए गए आर०ई०पी० लाइसेंसों के लिए लागू होंगे।

हस्ताक्षरित
बी०के० जुत्शी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

Public Notice No. 36—ITC (PN)/80

New Delhi, the 23rd September, 1980

Subject: Import Policy for April, 1980-March, 1981.

F. No. 1/28/REP/K/74-EPC (Vol. VII)—Attention is invited to the Import Policy for April, 1980-Marh, 1981, published under the Department of Commerce Public Notice No. 9-ITC (PN)/80 dated the 15th April, 1980.

2. The following amendments shall be deemed to had been made in the said import policy at the appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. Import Policy 1980-81	Reference	Amendments
1	2	3	4
1	153	Appendix 17 Sl. No. K.7(i) Col. 5	The existing remark (1) shall be re-numbered as "(2)" and the following remark will be inserted as (1):— "(1) Import of raw silk, namely, Tussar or Mulbery will be allowed, within the admissible replenishment, depending upon the variety actually used in the product exported, as certified in the levant export inspection certificate. For this purpose, the variety of raw silk forming dominent fibre content in the exported product will be taken as the variety actually used."
2	153	Appendix 17 Sl No. K7(ii) Col. 5	After the existing remark (1), the following further remark shall be inserted:— "(2) Same as Remark (2) against Sl. No. K7(i)".
3	159	Appendix 17 Sl. No. 0.4(i)	The following remark shall be inserted:— "(1) Import of raw silk, namely, Tussar or Mulbery, will be allowed, within the admissible replenishment, depending upon the variety actually used in the product exported, as certified in the relevant export inspection certificate, I or this purpose, the variety of raw silk forming deominent fibre content in the exported product will be taken as the variety actually used."
4	159	Appendix 17 Sl. No.0.4(ii) Col. 5	The following remark shall be inserted:— "(1) Same as Remark (1) against Sl. No. 0.4(i)."

3. The provisions of this Public Notice with regard to import of raw silk as replenishment will apply to REP licences issued against exports made on or after 1st October, 1980.

B.K. ZUTSHI, Jt Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980